//कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म.प्र.)//

क्र/5/आपदा प्रबंधन/108(28)/SW/2020, अलीराजपुर, दि. 04/05/2020

//परिपत्र//

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्यू- 5 दिनांक 25.03.2020 के संदर्भ में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कोविड-19 संक्रमण के दौरान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक क्यू- 12 जबलपुर, दिनांक 04.05.2020 द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार संदर्भित परिपत्र में कंडिका 04 एवं कंडिका 05 के बीच में कंडिकाएँ 4.1 एवं 4.2 जोड़ी गई है इसी अनुसार कार्यालय परिपत्र क्रमांक 08 दिनांक 26.03.2020 में कंडिका क्रमांक 08 के पश्चात अतिरिक्त कंडिका क्रमांक 09 एवं 10 निम्नानुसार जोड़ी जाती हैं :-

09- अत्यावश्यक मामलों को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्रकरण भी सुनवाई में लिये जावें जो निराकरण की अवस्था पर हो, आदेश, अंतिम सुनवाई, रिमाण्ड एवं जमानत, क्रिमिनल रिवीजन, सिविल अपील आदि जो कि दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं के लिखित तर्क एवं बिना किसी भौतिक साक्ष्य के संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा निराकृत किये जा सकते हैं। पीठासीन अधिकारी इस हेतु माननीय अधिवक्ता से लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु आग्रह करे।

10- उक्त कार्य के लिए न्यायालय कर्मचारी की व्यवस्था इस प्रकार से की जावें कि न्यायालय परिसर में किसी प्रकार की भिड़ उत्पन्न न हो किन्तु न्यायालय कर्मचारी की कमी के कारण कोई कार्य प्रभावित न हो इसके प्रयोजन से न्यायालयीन कर्मचारीयों को पारियों में बुलाया जा सकता है एवं यदि संभव हो तो एक तिहाई या एक चौथाई स्टॉफ को कार्यालय दिवस में बुलाया जा सकता है। इसमें उन अधिकारीयों/कर्मचारीयों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा जो कंटेनमेंट झोन/हॉट स्पॉट वाले स्थानों पर निवासरत है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि शेष कर्मचारीगण कार्यालयीन समय के दौरान अपने निवास पर उपस्थित रहे एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी भी समय बुलाया जा सकता हैं। कोई भी कर्मचारी बिना किसी कार्यालयीन प्रयोजन के अपना निवास स्थान पीठासीन अधिकारी के बिना अनुमति के नहीं छोड़ेगा।

उपरोक्तानुसार कंडिका 09 एवं 10 दिनांक 04.05.2020 से कोविड- 19 संक्रमण अवधि में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक क्यू-05 दिनांक 25.03.2020 के अनुक्रम में लागु होगी। परिपत्र का पालन निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जावें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)

पृ0 क्र. 732/आपदा प्रबंधन/2020,   अलीराजपुर, दिनांक 4/05/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण अलीराजपुर/जोबट
3. अध्यक्ष,अभिभाषक संघ, अलीराजपुर/जोबट।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर।
5. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, जनसंपर्क संचानालय अलीराजपुर की ओर इस अनुरोध के साथ की सभी दैनिक सामाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।
8. जिला नाजिर /नायब नाजित अलीराजपुर/जोबट की ओर इस निर्देश के साथ की एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
9. सिस्टम ऑफिसर.अलीराजपुर की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं उक्त संबंधि को ई–मेल से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

4-5-20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीराजपुर (म0प्र0)